



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082025-265410
CG-DL-E-13082025-265410

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3647]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2025/श्रावण 22, 1947

No. 3647]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2025/SHRAVANA 22, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2025

का.आ. 3740(अ).— महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) की धारा 54 और धारा 55 की उप-धारा (1) और (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा महापत्तनों के लिए न्यायनिर्णयन बोर्ड का गठन करती है, जिसमें एक पीठासीन अधिकारी और दो सदस्य शामिल होंगे, नामतः:-

- (i) न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई - पीठासीन अधिकारी
पूर्व मुख्य न्यायाधीश, केरल उच्च न्यायालय
- (ii) श्री चिरावुरी विश्वनाथ - सदस्य
पूर्व सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग और

पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी)

(iii) डॉ. संजीव रंजन

- सदस्य

पूर्व सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, और
तकनीकी सदस्य, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी)

2. महापत्तनों के लिए न्यायनिर्णयन बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में होगा।

3. (तत्कालीन) महापत्तन न्यासी अधिनियम, 1963 की धारा 47ए के अंतर्गत गठित महापत्तनों प्रशुल्क प्राधिकरण, महापत्तन न्यायनिर्णयन बोर्ड के गठन की तिथि से अस्तित्व में नहीं रहेगा।

4. महापत्तन न्यायनिर्णयन बोर्ड, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. पीडी-24015/60/2021-पीडी-I]

आर. लक्ष्मणन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2025

S.O. 3740(E).— In pursuance of sub-sections (1) and (2) of Section 54 and Section 55 of the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021), the Central Government hereby constitutes the Adjudicatory Board for Major Ports, consisting of a Presiding Officer and two Members, namely:-

- | | |
|---|---------------------|
| (i) Justice Ashish Jitendra Desai
Former Chief Justice, Kerala High Court | - Presiding Officer |
| (ii) Shri Chirravuri Viswanath
Former Secretary, Department of Consumer Affairs, and
Former Member, National Consumer Dispute
Redressal Commission (NCDRC) | - Member |
| (ii) Dr. Sanjeev Ranjan
Former Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, and
Technical Member, National Company Law Tribunal (NCLT) | - Member |

2. The head office of the Adjudicatory Board for Major Ports shall be at Mumbai.

3. The Tariff Authority for Major Ports constituted under Section 47A of the (erstwhile) Major Port Trusts Act, 1963 shall cease to exist from the date of constitution of the Adjudicatory Board for Major Ports.

4. The Adjudicatory Board for Major Ports shall come into force from the date of publication of the notification, in the official Gazette.

[F. No. PD-24015/60/2021-PD-I]

R. LAKSHMANAN, Jt. Secy.